10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

(40)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी P 1226-I-17

1– प्यारेलाल तनय हरदेव प्रसाद यादव
2– महाराज सिंह तनय हरदेव प्रसाद यादव
3– हरदेव प्रसाद यादव समस्त निवासीगण– ग्राम मुडारा तहसील निवाडी, जिला – टीकमगढ, (म0प्र0)..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1– रोशन सिंह, जगदीश पुत्रगण पहलवान सिंह यादव, निवासी– मुडारा तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ, (म0प्र0)
2– वीरेन्द्र तनय पहलवान सिंह यादव निवासी– मुडारा तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ, (म0प्र0) ---- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 11/04/2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0 जो प्रकरण क्रमांक 0092 अपील/ 2016–2017 में पारित कर गैरनिगरानीकर्त क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान का स्वीकार किया है। आदेश दिनांक 11/04/2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसे एनेक्जर ए–1 से चिन्हित किया गया है।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की निगरानी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, निगरानीकर्तागण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 588/1, 588/2, 589 एकत्र रक्वा 3.197 है0 मौजा देवेन्द्रपुरा तहसील निवाडी जिला टीकमगढ पर आने जाने के लिए मुद्दत समय से चली आ रही पुष्तैनी रुढिगत रास्ता खसरा नम्बर 587 में से है ।

2– यह कि, गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 के भाई गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 2 वीरेन्द्र सिंह द्वारा खसरा नम्बर 587 पर स्थित रुढिगम रास्ता को दिनांक 20/09/2008 को बन्द कर दिया था । जिसके विरूद्व निगरानीकर्तागण ने श्रीमान तहसीलदार महोदय निवाडी जिला टीकमगढ के ...

(२)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1226-एक/2017 प्यारेलाल विरूद्ध रोशनसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक प्यारेलाल की ओर से अभिभाषक श्री भूपेन्द्र माहौर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 0092 अपील/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-04-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-04-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

22.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य